भारत पाँच रुपये भारत पाँच रुपये भारत पाँच रुपये FIVE भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

(81)

न्यायालय श्रीमान अध्यक्ष महोदय राजस्व मण्डल

ग्वालियर कैम्प भोपाल

PBR/निगरानी/रायसेन/भू.रा/2018/1056 प्रकरण कमांक............/2018

अंचला गुर्जर पत्नी धर्मेन्द्र सिंह गुर्जर
निवासी – ग्राम सोढ़िया रोड, हरिपुरा,
विदिशा म.प्र.

......आवेदक / निगरानीकर्ता

विरुद्ध

1 म.प्र. शासन
2. पूरणसिंह पुत्र सोमत सिंह कुशवाहा
निवासी – ग्राम मुरवारा पटी
तहसील व जिला विदिशा

.....अनावेदकगण / प्रत्यर्थीगण

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र.भू.रा.संहिता। 1959

अधीनस्थ अपर आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल के अपील प्रकरण कमांक 187/अपील/08-09 में पारित आदेश दिनांक 24/08/2017 से व्यथित एवं परिवेदित होकर यह निगरानी जानकारी दिनांक 06/01/18 एवं प्रमाणित प्रतिलिपि दिनांक से समयावधि में निम्न ठोस तथ्यों एवं आधारों पर माननीय महोदय के समक्ष समयावधि विधान की धारा 5 के आवेदन के साथ प्रस्तुत है।

न्यायालय, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक पीबीआर/निगरानी/रायसेन/भू.रा/18/1056

स्थान व दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
13-3-18	आवेदक अधिवक्ता श्री अखिलेश तिवारी द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्को पर विचार किया गया । अपर आयुक्त भोपाल संभाग भोपाल के द्वारा पारित आदेश दिनांक 24-8-2017 की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया । आदेश के अवलोकन से स्पष्ट है कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा प्रश्नाधीन भूमि राजस्व अभिलेख में नोईयत मरघट के नाम से अंकित होने के कारण तथा उक्त भूमि पर आवेदक का 4 एकड भूमि पर अवैध कब्जा प्रमाणित होने से बेदखली के विरूद्ध आवेदक की अपील अस्वीकार की गई है और अनुविभागीय अधिकारी के आदेश की पुष्टि करने में अपर आयुक्त द्वारा विधिसंगत कार्यवाही की गई है । अत: यह निगरानी आधारहीन होने से अग्राह्य की जाती है । अध्यक्ष	